कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/2228/री0ए0डी0एम0/निर्वाचन/2018 इन्दौर, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018

:: आदेश ::

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973)

विधानसभा निर्वाचन–2018 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा चुकी है । चुनाव की घोषणा के साथ ही इन निर्वाचनों को दृष्टिगत रखते हुए चुनावी गतिविधियाँ बढ़ गई है । पुलिस से प्राप्त प्रतिवेदन तथा अन्य प्राप्त सूचनाओं के आधार पर राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं में आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण लोक शांति बनाये रखने एवं जन सुरक्षा की दृष्टि से ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग, अस्त्र–शस्त्र प्रदर्शन को विनिमित किया जाना तथा असीमित संख्या में वाहनों के काफिलों के साथ रैली व जुलुस प्रतिषिद्ध किया जाना आवश्यक है ।

मुझे पुलिस द्वारा अवगत कराये गये आधार पर यह संतोष हो गया है कि इन्दौर जिले में विधानसभा निर्वाचन–2018 के दौरान निर्वाचन की घोषणा से लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से असीमित संख्या में वाहनों के काफिले व असीमित संख्या में वाहनों पर लाउड स्पीकर के उपयोग को प्रतिषिद्ध करने के लिए अविलम्ब उपाय कर, निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक हो गया है ।

अतः मैं, **निशांत वरवड़े, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर** दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1979 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगाता हूँ, जो सम्पूर्ण इन्दौर जिले में दिनांक 07/10/2018 से दिनांक 28/11/2018 तक प्रभावी रहेगा :–

1. यह कि इस अवधि में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र–शस्त्र धारण नहीं करेगा, न ही लायेगा, न ले जावेगा तथा न ही प्रदर्शन करेगा । यह पाबंदी उन समुदायों पर लागू नहीं होगी, जो दीर्घकाल से प्रचलित रूढ़ि, प्रथा एवं विधि के अनुसार शस्त्र प्रदर्शन करने के लिए हकदार है । यह प्रावधान नगर निगम सीमा/नगर पंचायत क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होंगे ।
2. राजनैतिक दल, संस्था, संगठन, व्यक्ति बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये, किसी भी प्रकार की वाहन रैली नहीं निकालेगा । सक्षम अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही चुनाव प्रचार एवं चुनाव सामग्री परिवहन हेतु वाहनों का उपयोग किया जा सकेंगा । इसी प्रकार जुलुस आदि के लिए भी विधिवत् अनुमति कार्यपालिक दण्डाधिकारी से ली जाना आवश्यक होगा ।

District Magistrate,
District–Indore (M.P.)

3. यह कि कोई भी राजनैतिक दल, संस्था अथवा संगठन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा, समारोह, जलसा आदि बिना अनुमति के नहीं करे । सड़क, स्कूल मैदान तथा शासकीय कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णतया निषिद्ध रहेगी ।
4. यह कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, मार्ग, मकानों की छतों पर आतिशबाजी का उपयोग नहीं करेगा । उक्त प्रतिबन्ध बारात आदि में होने वाली आतिशबाजी पर भी लागू होंगे ।(इन प्रतिबंधों में दीपावली एवं देवउठनी ग्यारस त्यौहारों पर छूट रहेंगी)
5. यह कि कोई भी व्यक्ति, दल अथवा संस्था सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बिना अनुमति लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं करेगा । इस बिन्दु में ठेला गाड़ी पर लगे लाउड स्पीकर को भी सम्मिलित किया जाता है ।
6. यह कि कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य संगठन किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर अथवा अन्य प्रकार के आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा एवं आपत्तिजनक पर्चा, पेम्प्लेट आदि वितरित नहीं करेगा, सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित नहीं करेगा, जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचती हो तथा साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शांति भंग हो सकती है ।

यह कि रैली, वाहन रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, सभा/आमसभा हेतु शहरी क्षेत्र में संबंधित एस0डी0एम0/ए0डी0एम0/पुलिस अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी व अन्य क्षेत्रों के लिए सम्बन्धित कार्यपालिक दण्डाधिकारी या सम्बन्धित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करना होगी ।

चूंकि यह आदेश जन साधारण पर लागू है तथा परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य पर उक्त सूचना की तामिली की जा सके । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1979 की धारा 144(2) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144(5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता सन्तुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू प्रतिबन्ध से छूट दे सकेगा ।

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जावेगा ।

उपर्युक्त प्रतिबन्ध विधि एवं व्यवस्था सम्बन्धी ड्युटी में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी एवं पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा तथा यह प्रतिबन्ध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबन्धों के अतिरिक्त होंगे ।

यह आदेश आज दिनांक 06/10/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(निशांत वरवड़े)
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

URGENT

पृ0क्रमांक/ 2229 /री0ए0डी0एम0/निर्वाचन/2018 इन्दौर, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन, 17 अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. आयुक्त, इन्दौर सम्भाग, इन्दौर ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज, इन्दौर ।
6. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर ।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर ।
8. पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)/पूर्व/पश्चिम, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । सभी थाना क्षेत्रों को निर्देशित कर, आदेश का पालन सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें ।
9. अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर(समस्त) ।
10. अति0 पुलिस अधीक्षक, पूर्व/पश्चिम क्षेत्र/महू/ग्रामीण इन्दौर ।
11. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला इन्दौर ।
12. सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, सेन्ट्रल कोतवाली/मल्हागंज/राऊ/जूनी इंदौर /संयोगितागंज/विजय नगर/खुड़ैल/कम्पेल/महू/हातोद/देपालपुर/सांवेर, जिला इन्दौर ।
13. नगर पुलिस अधीक्षक, सेन्ट्रल कोतवाली/परदेशीपुरा/सराफा/मल्हागंज/अन्नपूर्णा/जूनी इंदौर /संयोगितागंज/विजय नगर/आजाद नगर/गांधी नगर/खजराना ।
14. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), महू/सांवेर/देपालपुर ।
15. उप पुलिस अधीक्षक, जिला विशेष शाखा/मुख्यालय, इन्दौर ।
16. उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर ।
17. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
18. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रुम, इन्दौर ।
19. थाना प्रभारी, थाना .... जिला इन्दौर ।

(14)

जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.